रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1970/फाल्गुन 11, 1891

No. 47] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1970/PHALGUNA 11, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February 1970

G.S.R. 393.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the State Governments concerned hereby authorises the Board of Revenue in the State of Andhra Pradesh, Commissioners in the States of Haryana, Madhya Pradesh, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh, the Secretary in the Industries Department, Government of Tamil Nadu in the State of Tamil Nadu and the Revenue Appellate Authority in the State of Rajasthan to perform within their respective jurisdiction, the duties of Appellate Authority under sub-section (1) of section 10 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) and the rules made thereunder in respect of cotton consumed in any mill in India with a view to producing or manufacturing any goods therefrom.

[No. 11-16/69-C.A.I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1970

जी० एस० आर० 393 :— संविधान के अनुच्छेद 258 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति से, आंध्र प्रदेश में राजस्व बोर्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आयुक्तों, तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग के सचिव और राजस्थान राज्य में राजस्व अपील प्राधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में, जहां तक कपास से कोई सामान निर्मित करने अथवा उत्पादित करने के विचार से किसी मिल के कपास की खपत का सम्बन्ध है, उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) के खंड 10 के उपखंड (1) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी का कार्य करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

[11-16/69-फसल प्र०-1]

सु० ज्यो० मजूमदार, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970